बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 384465 पटना, दिनांक 14/08/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(PMAY अन्य)-102-40/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>

सभी उप विकास आयुक्त,

बिहार ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त परिवारों का नाम शामिल करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-370600 दिनांक-22.05.18, 379288 दिनांक-17.07.18 एवं 382861 दिनांक-06.08.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त पात्र परिवारों का नाम शामिल करने संबंधी प्राप्त मार्गदर्शन के आलाके में विभागीय पत्र संख्या-370600 दिनांक-22.05.18 द्वारा इस निमित्त अपनाई जाने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया था कि प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए परिवारों को विहित प्रपत्र के अनुसार चिन्हित कर योग्य पाये गये परिवारों की सूची में दिनाक 15.06.2018 तक ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद दिनांक 25.06.2018 तक अपीलीय समिति की अनुशंसा प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाय । इस संबंध में विभागीय पत्र संख्या-379288 दिनांक-17.07.2018 द्वारा चिन्हित किये गये परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल करने हेतु Mobile Application द्वारा निरीक्षण करने तथा इस निमित्त Awaas + App पर अपलोड करने की कार्रवाई 20.07.18 तक पूर्ण करने तथा शामिल किये गये परिवारों की कोटिवार संख्या प्रतिवेदित करने हेतु निदेशित किया गया था । इस बीच Awaas + App पर डाटा प्रविष्टि के लिए सभी जिलों के संबंधित कर्मी को प्रशिक्षण भी दिया गया । विभागीय पत्र संख्या-382861 दिनांक-06.08.18 द्वारा Awaas + App का Module भी उपलब्ध करा दिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण कार्रवाई को समयबद्धता के अनुसार किया जाना अपेक्षित था क्योंकि प्रतीक्षा सूची में कतिपय कोटि के लाभुक के नहीं रहने के कारण लक्ष्य प्रत्यर्पित करने की स्थिति सामने आ रही है ।

ऐसी संभावना है कि कतिपय परिवारों का नाम सर्वेक्षण में कतिपय कारणवश चिन्हित नहीं किया जा सका हो ।

उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिपथ प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों का नाम शामिल करने की प्रक्रिया दिनांक 31.08.2018 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित होगा :-

(1) ग्रामीण जनता के बीच प्रचार प्रसार

प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए परिवारों का नाम जोड़ने के संबंध में ग्रामीण जनता को ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों, ग्राम चौकीदार, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम के साथ हीं स्थानीय व्यवस्था से गहन प्रचार प्रसार कराया जायेगा । प्रचार -प्रसार प्रत्येक गांव/टोला में सुनिश्चित होने का अनुश्रवण उप विकास आयुक्त स्वयं करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नाम शामिल करने की कार्रवाई किये जाने की जानकारी सभी ग्रामीण जनता को दी गई है ।

(2) छूटे हुए परिवारों का नाम शामिल करने के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड कार्यालय में छूटे हुए परिवारों का नाम शामिल करने के लिए ग्रामीण जनता से आवेदन प्राप्ति हेतु एक विशेष काउंटर की व्यवस्था करेंगे जो रोस्टर व्यवस्था के आधार पर सार्वजनिक अवकाश (राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) के दिन भी खुले रहेंगे । प्राप्त आवेदनों को निर्धारित पंजी में संधारित किया जायेगा तथा प्राप्ति रसीद में पंजी का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा ।

आवेदक अपनी इच्छानुसार आवेदन अपने पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक को क्षेत्र भ्रमण/आवास दिवस के अवसर पर भी दे सकते हैं जिसकी पावती ससमय ग्रामीण आवास सहायक द्वारा दे दी जायेगी ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रतिदिन अपराहन 5.00 बजे प्रखण्ड स्तर पर निर्धारित काउंटर एवं ग्रामीण आवास सहायक को प्राप्त आवेदन की संख्या जिला स्तर पर विभागीय पत्रांक-382744 दिनांक-03.08.18 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में गठित कोषांग को उपलब्ध करायेंगे ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्राप्त सभी आवेदनों को अगले दिन जाँच हेतु ग्रामीण आवास सहायक को उपलब्ध करायेंगे । ग्रामीण आवास सहायक द्वारा योजनान्तर्गत आवास का लाभ पाने के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्रता की जाँच दो कार्यदिवस के अंदर करते हुए प्रखण्ड कार्यालय को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा । इसके आधार पर प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल करने हेतु योग्य एवं अयोग्य परिवार के रूप में वर्गीकृत करते हुए पंचायतवार संधारित किया जायेगा ।

(3) प्राप्त आवेदन की जाँच

विशेष काउंटर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच विभागीय पत्र संख्या-370600 दिनांक-22.05.18 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करायी जायेगी ।

(4) ग्राम सभा का अनुमोदन

प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की जाँचोपरान्त पात्र पाये गये परिवारों का प्राथमिकता का निर्धारण एवं अनुमोदन ग्राम सभा से कराया जायेगा ।

(5) अपीलीय समिति की अनुशंसा

ग्राम सभा द्वारा सूची के अनुमोदन के पश्चात प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों का नाम शामिल करने संबंधी जिला स्तरीय अपीलीय समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी ।

(6) **Awaas + App पर पात्र परिवारों की डाटा की प्रविष्टि**

जिला स्तरीय अपीलीय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद पात्र पाये परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के लिए Awaas + App पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी ।

(7) **विशेष परियोजना से संबंधित परिवार का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल करना :-**

विदित है कि विशेष परियोजना के अन्तर्गत आवास का लाभ स्वीकृत करने के लिए लाभुक परिवार का नाम प्रधान मंत्री आवस योजना-ग्रामीण की प्रतिक्षा सूची में होना अनिवार्य है । पूर्व में प्रेषित किये गये विशेष परियोजना प्रस्तावों में शामिल किये गये परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्रवाई हेतु विभागीय पत्र संख्या-370600 दिनांक-22.05.2018 की कंडिका-3(घ) के अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।

(8) **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का विशेष दायित्व**

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की भूमिका इस कार्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अतएव वे इसके प्रति सजग रहेंगे । यदि इस प्रक्रिया से कोई पात्र ग्रामीण परिवार वंचित रह जाते हैं तो यह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की उदासीनता मानी जायेगी तथा इसके लिए उतरदायित्व का निर्धारण कर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी ।

(9) **प्रतीक्षा सूची में शामिल किये गये परिवारों से संबंधित प्रतिवेदन**

अपीलीय समिति द्वारा प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने के संबंध में की गई अनुशंसा के आधार पर प्रतीक्षा सूची में शामिल किये जाने वाले कोटिवार पात्र परिवारों की संख्या निम्न प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा :-

जिला का नाम :-

क्र0 सं0	कोटि	प्रतीक्षा सूची में शामिल किये गये लाभुकों की संख्या
1.	SC	
2.	ST	
3.	अल्पसंख्यक	
4.	सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक को छोड़कर)	
	कुल :-	

अत: अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए परिवारों का नाम दिनांक 31.08.2018 तक शामिल करने की प्रक्रिया पूर्ण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय ।

विश्वासभाजन

14/8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 384465 पटना, दिनांक 14/08/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी इस महत्वपूर्ण कार्य का नियमित अनुश्रवण करेंगे ।

14/8/2018

सरकार के सचिव

D:\D Drive\Mukesh\IAY 2304 A.doc